10.4.XVIII तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर
के पत्रांक 2029 दि 24.XVIII
मय नामान्तरकरण सं 4410 की
प्रमाणित प्रति प्राप्त शामिल हो.
नामान्तरकरण सं 4410 के अनुसार
इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या
271/13 हरदीप मेहरा बनाम
राम लाल etc में पारित निर्णय
दि 10.7.2017 की क्रियान्विति
की जा चुकी है, अतः पत्रावली
मसलबद्ध की जाती है. पत्रावली
दायरा पंजिका के इन्द्राज से कम
किया जाकर निर्णय की सूचि
में शामिल हो.

(यशपाल आहूजा)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.
कैम्प न्यायालय– ओड़की

वादपत्र संख्या 27 / 2013
अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रदीप नेहरा आत्मज श्री कालूराम जाट, फतूही तहसील एवं जिला श्रीगंगानगर.

.....वादी

बनाम

1. रामलाल आत्मज श्री शेराराम, जाट, चक 2 एम.एस.डी.–ए पुरानी मण्डी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर,
2. पृथ्वीराज आत्मज श्री रामलाल, जाट, फतूही तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (वादी)
श्री बलराम सुथार (प्रतिवादी–1)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–3)

दिनांक 10 जुलाई, 2017

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 3 ई बड़ी–I तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49/51 मुरब्बा नम्बर 10 में 1.240 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 में 3.760 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 12 में 3.718 कुल 8.754 हैक्टर कृषिभूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है कृषि भूमि श्रीमती सिगिया एवं श्रीमी रामप्यारी आत्मजन श्रीमती चुन्नी धर्मपत्नी स्व. श्री हंसराज से पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16 फरवरी, 1973 द्वारा क्रय की गयी थी. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऋणों को चुकता करने के लिये राशि की आवश्यकता होने पर वादी के साथ चक 3 ई बड़ी–I के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा का सौदा कर विक्रय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 को निष्पादित एवं पंजीवद्ध करवा कर विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा मौका पर ही सौंप दिया तथा क्रयाधीन कृषि भूमि का भौतिक कब्जा आज भी वादी के पास चला आ रहा है जिस पर वर्तमान में फसल हाड़ी पक कर तैयार है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जो परस्पर पिता–पुत्र हैं, द्वारा षडयन्त्रपूर्वक एवं दुर्भिसंधि कर तहसीलदार, श्रीगंगानगर के समक्ष विभाजन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 13 अगस्त, 2007 को निर्णित किया गया. जिसके विरूद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4 नवम्बर, 2010 को निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया. चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामलाल द्वारा अपनी स्वःर्जित सम्पत्ति का पूर्व में ही हस्तान्तरण किया

जा चुका था इसलिये प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिस पर एकपक्षीय निर्णय दिनांक 11 मार्च, 2011 को पारित किया गया जिसके विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष अपील विचाराधीन है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने एकल खाता की स्वर्जित कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि का पंजीबद्व विकय विलेख दिनांक 13 जून, 2010 द्वारा वादी के हस्तान्तरण कर हस्तान्तरण तिथि को ही वादी को कयाधीन कृषि भूमि का कब्जा सम्भाल दिया गया. इसलिये वादी कयाधीन 10.00 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा करवाकर विभाजन करवाने का अधिकारी है. किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा परस्पर दुर्भिसंधि का प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को उल्लेखित विकित कृषि भूमि 10.00 बीघा देकर राजस्व अभिलेखों में कियान्विती भी करवा ली गयी है. जबकि मौका पर आज भी कब्जा वादी का ही चली आ रहा है. इस प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व उसकी कयाधीन कृषि भूमि 10.00 बीघा में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है. वादी द्वारा कयाधीन 10.00 बीघा कृषि भूमि के नामान्तरकरण के लिये कार्यवाही करने पर प्रतिवादी संख्या 2 श्री पृथ्वीराज ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व वाद प्रस्तुत कर अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली, तदोपरान्त, वादपत्र पत्याहरित कर षडयन्त्र पूर्वक वादी द्वारा कयाधीन 10.00 बीघा कृषि भूमि का सहमति से विभाजन करवाकर अपने नाम पर खातेदारी नामान्तरकण भी करवा लिया गया. जिस पर वादी द्वारा दिनांक 26 अप्रेल, 2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को वादी की कय शुदा कृषि भूमि का सहमति से वादी के नाम पर नामान्तरकरण करवाने तथा राजस्व अभिलेखों में संशोधन करवाने का आग्रह किया गया जिस पर प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये. यही वादकरण वादी को उपलब्ध है इस प्रकार वादी द्वारा चक 3 ई–1 तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा कर खाता विभाजित करने के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्व उसके कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068 एवं पंजीबद्व दस्तावेज बैयनमा दिनांक 17 जून, 2000 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादीगण अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 3 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित.

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 29 मई, 2011 अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी द्वारा न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 21/2011 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल नेहरा प्रस्तुत की गयी है जिसमें आगामी तिथि दिनांक 2 मई, 2011 स्थगन प्रार्थनापत्र की बहस हेतु निश्चित है. अपील में चक 3 ई बड़ी–1 के मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 21 से 25 की 1.

सहायक कलक्टर एवं

240 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 3 से 5, 6 से 15 की 3.163 हैक्टर कुल 4.240 हैक्टर कृषि भूमि सम्बद्व है जिसका सहमति से विभाजन न्यायालय तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11 मार्च, 2011 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष मे जारी किया गया है. अपील के विचारणकाल में ही प्रतिवादी संख्या 1 से धोखा में रखकर चक 3 ई बड़ी–ा के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा का बिना प्रतिफल के विक्रय विलेख अपने नाम पर निष्पादित करवा लिया गया है. तथा अपील प्रस्तुत होने की दिनांक तक विक्रय विलेख को छिपाये रख गया. अपील में वादी द्वारा अपीलांट के तौर पर अपील प्रस्तुत कर वादपत्र के अनुतोष की ही मांग की गयी है. विचाराधीन वादपत्र के विषयवस्तु एवं पक्षकार एक समान है तथा वादी द्वारा अपील संख्या 21/2011 विचाराधीन वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही प्रस्तुत की गयी है. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र एवं अपील में प्रत्यक्षताः एवं सारत विवाद समान हैं तथा समान पक्षकारों में समान भूमि का ही विवाद है जिसमें समान पक्षकारान के मध्य समान अनुतोष है एवं समान वादकरण है इसलिये धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अनुसार वादपत्र का विचारण कानूनन रोका जाना आवश्यक है. इस प्रकार विचाराधीन वादपत्र का विचारण स्थगित रखे जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 21/2011 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल नेहरा में दिनांक 29 अप्रेल, 2011 की अधूरी आदेश पत्रिका, आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 96 व्यवहार प्रकिया संहिता एवं अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम मय धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थनापत्र, न्यायालय तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा शीर्षक रामलाल बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 मार्च, 2011 एवं न्यायालय अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 21/2011 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल नेहरा में दिनांक 29 अप्रेल, 2011 से 27 मई, 2011 के आदेश पत्रिका की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. जिसका वादी की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किया गया. प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा विचाराधीन आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता दिनांक 23 मई, 2013 को प्रत्याहरित किया गया.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 23 मई, 2013 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत की गयी कि चक 3 ई बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि दिनांक 17 जून, 2010 को वादी द्वारा कय किया गया था जिसकी खातेदारी घोषित करने हेतु विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वादी का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है. अतः वादी किसी भी श्रेणी का कृषक नहीं कहलाता, राजस्व अभिलेखानुसार विचाराधीन कृषि भूमि पृथ्वीराज के नाम से दर्ज है. तथा विक्रय विलेख की बाबत केवल सिविल न्यायालय में ही वादपत्र प्रस्तुत किया जाता

सकता है. इस प्रकार विचाराधीन वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. विचाराधीन वाद विधि द्वारा वर्जित एवं माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से सम्बन्धित नही है.इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा विचाराधीन वादपत्र इसी स्तर पर नस्तीबद्व करने का निवेदन किया गया.

वादी द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 30 मई, 2013 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा चक 3 ई बड़ी के मुरब्बा नम्बर 6 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा रामलाल से दिनांक 17 जून, 2010 को पंजीबद्व विकय विलेख द्वारा कय किया गया है जिसका कब्जा कय तिथि से ही वादी के पास चला आ रहा है. विचाराधीन वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है. तथा विचाराधीन वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के भाग प्रथम के कमांक 35 एवं 23 सी के अनुसार माननीय न्यायालय को प्रकरण के श्रवणाधिकार उपलब्ध हैं. आवेदक मात्र प्रकरण की कार्यवाही को देरी करने की नीयत से प्रस्तुत किया गया है. आवेदनपत्र में यह तथ्य कहीं भी स्पष्ट अंकित नहीं है कि विचाराधीन वाद क्यों एवं कैसे क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नहीं है. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 30 अप्रेल, 2013 द्वारा आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में उल्लेखित कारणों की विवचेना विवाद्यकों के निर्धारणोपरान्त पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों से परिदृश्य ही विनिश्चित की जा सकते हैं. किन्तु वर्तमान स्थिति में प्रकरण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता से प्रभावित नहीं होने के कारण आवेदनपत्र अस्वीकार किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 2013 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 17 जून, 2010 को विकय विलेख पंजीबद्व नहीं करवाया गया व न ही कोई राशि प्राप्त की गयी है एवं न ही वादी को पंजीबद्व विकय विलेख करवाने का ही अधिकार है क्योंकि उल्लेखित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा में आयी है तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर ही दर्ज है न कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर. न ही वादी को कब्जा दिया गया व न ही वादी द्वारा कोई फसल काश्त की गयी है. वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पोता एवं प्रतिवादी संख्या 2 का पुत्र है. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा षडयन्त्र पूवर्क एवं दुर्भिसंधि के अन्तर्गत आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया बल्कि वादी के पिता के विभाजन पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये गये हैं. विभाजनोपरान्त नामान्तकरण के विरूद्व अपील में प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है तथा तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा पक्षकारों की सुनवाई की जाकर निर्णय पारित किया गया है जिसके विरूद्व भी प्रस्तुत अपील में पुनः प्रतिप्रेषण का निर्णय दिया गया है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई कृषि भूमि का विकय नहीं किया गया व न ही वादी का कब्जा है व न ही वादी के नाम पर कृषि भूमि है उल्लेखित कृषि भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर दर्ज है

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

इसलिये वादी किसी भी प्रकार से घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है व न ही स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का ही अधिकारी है. पंजीबद्व विक्रय विलेख वैद्य नहीं है जिसकी बाबत माननीय न्यायालय को सुनवाई का अधिकार नहीं है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान के मध्य उत्पन्न विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यकों का निर्धारण किया गया --

1. क्या चक 3 ई बड़ी प्रथम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49/15 मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 3.670 हैक्टर कृषि भूमि वादी द्वारा पंजीबद्व बैयनामा द्वारा क्रय कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया था? ....वादी

2. क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है? ....वादी

3. क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि का भौतिक कब्जा वर्तमान में वादी का है? .....प्रतिवादीगण

4. क्या विक्रयाधीन कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि रही है? ....प्रतिवादीगण

5. अनुतोष?

प्रतिवादी की ओर से न्यायालय, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 शीर्षक रामलाल बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2013 की चित्रित प्रति प्रस्तुत की गयी.

विवाद्यकों के विनिश्चिय हेतु साक्ष्य वादी हेतु श्री प्रदीप नेहरा द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. किन्तु जिरह हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 26 मई, 2014 द्वारा अन्तिम अवसर तथा दिनांक 7 जनवरी, 2015 को पुनः अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर भी साक्षी द्वारा उपस्थित नही आने के परिणामतः आदेश दिनांक 11 मार्च, 2015 द्वारा विशेष आग्रह एवं न्यायहित में राशि 100.00 कॉस्ट पर तथा दिनांक 14 मई, 2015 द्वारा राशि 250.00 कास्ट पर पुनः अवसर दिया गया. साक्षी के उपस्थित आने पर जिरह की गयी. अन्य साक्ष्य वादी हेतु श्री अमितकुमार द्वारा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसे भी जिरह हेतु उपस्थिति के यथोचित अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 5 अक्तूबर, 2015 को अन्तिम अवसर, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 को राशि 200.00 कॉस्ट पर तथा दिनांक 18 नवम्बर, 2015 को राशि 500.00 कॉस्ट पर अवसर दिया गया, तत्पश्चात, साक्षी के उपस्थित आने पर जिरह की गयी. साक्ष्य प्रतिवादी हेतु यथोचित अवसर दिये जाने पर भी उपसिथत नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 23 फरवरी, 2016 को अन्तिम अवसर, दिनांक 8 मार्च, 2016 को राशि 200.00 कॉस्ट पर पुनः

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अन्तिम अवसर दिया गया. जिस पर भी साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही किये जाने पर आदेश दिनांक 17 मार्च, 2016 को साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी.

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र दिनांक 31 मार्च, 2016 अन्तर्गत आदेश 18 नियम 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रतिवादी वृद्व एवं बीमार है इसलिये प्रतिवादी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आ सकता, कल अन्य प्रकरण कालूराम बनाम रामलाल में आने पर पता चला कि प्रतिवादी की साक्ष्य दिनांक 17 मार्च, 2016 को बन्द कर दी गयी है. प्रतिवादी ने जानबूझ कर ऐसा नहीं किया बल्कि प्रतिवादी बीमार होने के कारण चलने में असमर्थ होने के कारण ही दिनांक 17 मार्च, 2016 को नहीं आ सकता. प्रतिवादी प्रकरण में काफी समय से पैरवी कर रहा है इसलिये न्यायहित में एक मौका दिया जावे. इस प्रकार प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया गया. वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कथन हस्ताक्षरित किये गये. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 11 मई, 2016 द्वारा आदेश दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 द्वारा पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 निश्चित की गयी., दिनांक 16 दिसम्बर, 2015 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यो में व्यस्त रहे तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 को बार एसोसियेशन द्वारा कार्य नहीं करने के निर्णय के परिणामतः साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नहीं किया जा सका. तत्पश्चात, साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 23 फरवरी, 2016 को अन्तिम अवसर तथा दिनांक 23 फरवरी, 2016 को अन्तिम अवसर तथा दिनांक 08 मार्च, 2016 को न्यायहित में 200.00 कॉस्ट पर पुनः अन्तिम अवसर दिया गया है तथा दिनांक 17 मार्च, 2016 को साक्ष्य प्रतिवादी प्रस्तुत नही करने के परिणामतः साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी है, किन्तु न्यायिक प्रकिया में प्रत्येक पक्षकार को अपना अपना पक्ष रखने के पूरे पूरे अवसर दिये जाने अपेक्षित होने के परिदृश्य आवेदनपत्र 500.00 कॉस्ट पर स्वीकार किया जाकर जिरह हेतु एक ही अवसर दिया गया.

साक्ष्य प्रतिवादी हेतु श्री रामलाल एवं श्री पृथ्वीराज द्वारा उपस्थित आकर प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये तथा जिरह हेतु पुनः उपस्थित नहीं आने के परिणामतः आदेश दिनांक 20 जून, 2016 द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 8 अगस्त, 2016 अन्तर्गत धारा 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादी प्रदीपकुमार द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष चक 3 ई बड़ी–I तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि दिनांक 17 जून, 2010 को कय की गयी तथा कय के आधार पर राजस्व अभिलेखों में उसके नाम पर खातेदारी घोषणा हेतु विचाराधीन वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत

किया गया है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा न्या. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष वरिष्ठ नागरिक के भरणपोषण अधिनियम, 2007 की धारा 23 एवं धारा 4 व 5 के अन्तर्गत पंजीबद्व विकय विलेख को शून्य घोषित किये जाने एवं भरण पोषण दिलाये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें न्या. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 11 नवम्बर, 2011 को बैयनामा शून्य घोषित कर दिया जिस विकय विलेख के आधार पर वादी घोषणा करवाना चाहता है तथा वादी ने न्या. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के विरूद्व मा. उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष अपील संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप बनाम रामलाल प्रस्तुत की गयी है जिसमें मा. उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्रभावी है, जब तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप बनाम रामलाल में निर्णय पारित नहीं किया जाता तब तक अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में कोई आदेश नहीं करना चाहिये. क्योंकि इस आदेश का प्रभाव माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर पड़ेगा. इसलिये जब तक मा. उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया जाता इस प्रकरण की कार्यवाही रोक देनी चाहिये. इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप बनाम रामलाल में पारित होने वाले निर्णय तक विचाराधीन प्रकरण की कार्यवाही स्थगित किये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में एस.बी.सिविल रिट पेटीशन संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप बनाम रामलाल की वर्तमान स्थिति, एस.बी.सिविल रिट पेटीशन संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप बनाम रामलाल पेटीशन मय संलग्नक की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

वादी की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 23 अगस्त, 2016 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार विचाराधीन वाद के विचारण के तथ्य स्वीकार किये गये तथा धारा 23 अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिक भरणपोषण अधिनियम के कथन अस्वीकार किये गये. चूंकि वादी उक्त आवेदनपत्र में पक्षकार नही था. अन्य कथनों में अंकित किया गया कि प्रतिवादी द्वारा स्वच्छ हाथों से आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया जिसके द्वारा येन-केन प्रकरेण व्यवहार प्रकिया सहिता का दुरूपयोग कर बार-बार आवेदनपत्र प्रस्तुत कर न्यायिक प्रकिया को विलम्ब कर रहा है. पूर्व में भी प्रतिवादी द्वारा विकय विलेख की बाबत आपत्ति प्रस्तुत कर आवेदनपत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है. यही नहीं धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदनपत्र भी निरस्त किया जा चुका है. आवेदपत्र धारा 10 व्यवहार प्रकिया संहिता की शर्तो के अनुरूप नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारण किया जाकर आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2016 को गत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार न्या. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

30/2013 शीर्षक रामलाल बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के पक्षकार एवं विचाराधीन प्रकरण के पक्षकारान भिन्न भिन्न होने के कारण वादी द्वारा मात्र प्रभावित होने के परिदृश्य ही माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल व अन्य प्रस्तुत की गयी है चूंकि दोनों प्रकरणों में पक्षकार भिन्न भिन्न हैं इसलिये विचाराधीन प्रकरण पर धारा 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान प्रभावित नहीं होते हैं ऐसी स्थिति में, आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी. प्रतिवादीगण की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

विवाद्यक संख्या 1 – क्या चक 3 ई बड़ी प्रथम तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49/15 मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 3.670 हैक्टर कृषि भूमि वादी द्वारा पंजीबद्व बैयनामा द्वारा कय कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया गया था? ....वादी पक्षकारान के मध्य सहमति से किये गये विभाजन की बाबत तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13 अगस्त, 2007 के अनुसार चक 3 ई बड़ी के खाता संख्या 15 के मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 6 से 15 श्री पृथ्वीराज आत्मज श्री रामलाल केक हिस्सा में आयी जिसमें प्रस्तुत बयान श्री सुभाष, श्री कालूराम एवं श्री रामलाल द्वारा प्रस्तुत बयानों में श्री पृथ्वीराज के हिस्सा की कृषि भूमि का कब्जा काश्त श्री पृथ्वीराज का ही होने के तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं. जिसके विरूद्व सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील संख्या 41/2010 शीर्षक रामलाल बनाम पृथ्वीराज प्रस्तुत की गयी जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4 नवम्बर, 2010 द्वारा प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित किया गया. जिस पर तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11 मार्च, 2011 पारित किया गया जिसके अनुसार श्री रामलाल ने अपनी पैतृक भूमि का विभाजन कर अपने पुत्र पृथ्वीराज को कृषि भूमि चक 3 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 10 व 11 की कुल 4.340 हैक्टर एवं 0.063 हैक्टर खाल अपनी सहमति से दी गयी थी अन्य पुत्रों का घड़साना क्षेत्र में भूमि देना बताया. जिसके विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष अपील विचाराधीन चली आ रही है इस समस्त प्रकिया के दौरान ही वादी द्वारा पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 द्वारा श्री रामलाल आत्मज श्री शेराराम से चक 3 ई बड़ी–I तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49 मुरब्बा नम्बर 11 के किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा एतद्द्वारा 2.530 हैक्टर कृषि भूमि कय की गयी. जिसकी बाबत प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब वादपत्र में यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि पंजीबद्व बैयनामा में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी

संख्या 2 के हिस्सा में आयी जो कि जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर ही दर्ज है. जिसकी पुष्टि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2065–2068 से होती है. ऐसी स्थिति में, प्रतिवादी संख्या 1 को न तो प्रश्नगत कृषि भूमि, उसके नाम पर दर्ज ही नहीं होने के कारण, उसके विक्रय करने का कोई अधिकार उपलब्ध नहीं थे, व न ही प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी सख्या 1 के कब्जाधीन ही थी. इससे स्पष्ट है कि पंजीबद्व बैयनामा के परिदृश्य विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा वादी–केता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 2 – क्या वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है? ....वादी

विवाद्यक संख्या 1 के विनिश्चिय के अनुसार वादी द्वारा पंजीबद्व बैयनामा के परिदृश्य विक्रयाधीन कृषि भूमि का कब्जा वादी–केता द्वारा प्राप्त नहीं किया गया. इसके अतिरिक्त न्यायालय उपखण्ड मजिस्टेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 शीर्षक रामलाल बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के अनुसार पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 17 जून, 2010 को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) के अन्तर्गत शून्य घोषित किया गया है. जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल व अन्य विचाराधीन है. इसी तथ्य को वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथपत्र के जिरह में स्वीकार किया गया है. ऐसी स्थिति में, जब सहमति से पारिवारिक विभाजन आदेश के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन अपील एवं न्यायालय उपखण्ड मजिस्टेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 शीर्षक रामलाल बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल व अन्य के परिदृश्य वादी प्रश्नगत कृषि भूमि की खातेदारी की घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी नहीं है. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 2 वादी के विरूद्व विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 3 – क्या वादीगण प्रश्नगत कृषि भूमि का भौतिक कब्जा वर्तमान में वादी का है? .....प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड मजिस्टेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 शीर्षक रामलाल बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के अनुसार पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 17 जून, 2010 को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) के अन्तर्गत शून्य घोषित

करते हुऐ भूमि का कब्जा तुरन्त अप्रार्थीगण कालूराम एवं उसके पुत्र प्रदीप से प्रार्थी को सोंपने के आदेश दिये गये है. जिसके विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल व अन्य विचाराधीन है. ऐसी स्थिति में, प्रश्नगत कृषि भूमि का कब्जा वादी के पास होने की अवधारणा स्थापित नहीं की जा सकती. इस प्रकार विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

विवाद्यक संख्या 4 – क्या विकयाधीन कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि रही है? ....प्रतिवादीगण

राजस्व अभिलेख सम्बत् 2065–2068 के अनुसार चक 3 ई बड़ी–ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 49/15, 16 के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 12 स्थित कृषि भूमि श्री रामलाल आत्मज श्री शेराराम के नाम पर दर्ज है जिसकी बाबत वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में अंकित किया गया है कि मुरब्बा नम्बर 11 की कुल 3.670 हैक्टर कृषि भूमि श्रीमती सिंगिया एवं श्रीमती रामप्यारी से बैयनामा दिनांकित 16 फरवरी, 1973 द्वारा कय की गयी थी. जिसका प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब वादपत्र में विरोध नहीं किया गया है इससे स्पष्ट होता है कि विकयाधीन कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की स्वःर्जित कृषि भूमि है. अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है.

पक्षकारान के मध्य सहमति से किये गये विभाजन की बाबत तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11 मार्च, 2011 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के समक्ष विचाराधीन अपील एवं न्यायालय उपखण्ड मजिस्टेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 30/2013 शीर्षक रामलाल बनाम सुभाष व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 नवम्बर, 2013 के अनुसार पंजीबद्व बैयनामा दिनांक 17 जून, 2010 को माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरणपोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23(1) के विरूद्व माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष विचाराधीन एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 13915/2013 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल व अन्य के परिदृश्य वादी किसी भी न्यायिक दृष्टिको।ा से चक 3 ई बड़ी–ा के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा का सौदा कर विकय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 के आधार पर खातेदारी घोषणा तथा खाता विभाजन करवाने का अधिकारी नही है. जिस पर निर्णय दिनांक 20 मार्च, 2017 पारित कर वादपत्र निरस्त किया गया. जिसके विरूद्व मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 40/2017 शीर्षक प्रदीप नेहरा बनाम रामलाल व अन्य प्रस्तुत करने पर मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21 जून, 2017 के अनुसार राजीनामा पर उभयपक्ष को सुनकर विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 05 जुलाई, 2017 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री मोहनलाल माहर एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पहचान अधिवक्ता श्री बलराम सुथार द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8966 8463 9736, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3682 2942 0162 एवं प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5202 9627 0722 एवं राजीनामा के गवाहान सर्वश्री रिछपाल के नाम पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन पहचानपत्र संख्या आर. जे./01/003/2556588 एवं श्री राजेश के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 761 3967 8429 की स्वःप्रमाणित चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

राजीनामा दिनांक 5 जुलाई, 2017 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 श्री रामलाल द्वारा स्वःर्जित सम्पत्ति चक 3 ई बड़ी–ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 1 से 15 कुल 3.670 हैक्टर कृषि भूमि में से चक 3 ई बड़ी–ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत निष्पादित विक्रय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 को यथा स्वीकार करते हुऐ विक्रयाधीन कृषि भूमि वादी के नाम पर नामान्तरित करने पर अनापत्ति प्रस्तुत की गयी जिसे प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारिवारिक राजीनामा के अनुसार प्रत्येक के साथ साथ प्रतिवादी संख्या 2 को अपना अपना हिस्सा प्राप्त होने के परिदृश्य विक्रय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 को स्वीकार किया गया. इस परिस्थिति में, वादी पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 द्वारा प्राप्त चक 3 ई बड़ी–ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि की बाबत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है.

।। आदेश ।।

अतः राजीनामा दिनांक 5 जुलाई, 2017 के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा वादी को विक्रय विलेख दिनांक 17 जून, 2010 के आधार पर वादी को चक 3 ई बड़ी–ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 11 किला नम्बर 6 से 15 कुल 10.00 बीघा कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिकी जारी हो.

निर्णय कैम्प न्यायालय– ओड़की में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10 जुलाई, 2017 को जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर